-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना चिल्ला पुलिस द्वारा मंदिरों के घंटे चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 12 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की कब्जे/निशानदेही से भारी मात्रा में चोरी के घंटे आदि किए गए बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस द्वारा मंदिरों में लगे घंटे चोरी करने वाले अभियुक्त को सूचना के 12 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की कब्जे/निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी के घंटे आदि बरामद किए गए हैं। गौरतलब हो कि थाना चिल्ला क्षेत्र बरेठीकला की रहने वाले लल्ला द्वारा दिनांक 01.11.2026 को थाना चिल्ला पर सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 31.10.2026 की रात्रि गांव के 02 मंदिरों से पीतल के घटे चोरी कर लिए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस टीमों का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 02.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पलरा मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि ग्राम बरेठीकला के बाहर स्थित गजानन माता मंदिर एवं बहोरन बाबा मंदिर तथा ग्राम पदारथपुर स्थित शंकर जी मंदिर से पीतल के घंटे चोरी किए थे तथा दिनांक 29.09.2026 को थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम कोनी स्थित भैरव बाबा मंदिर से भी घंटे चोरी किए थे। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी के घंटे आदि सहित घटना में प्रयुक्त औजार व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी-

- 136 पीतल के घंटे (छोटे/बड़े)
- 130 जंजीरे
- 29 टूटे हुए ताले
- प्लास/छेनी/हथौड़ा आदि (चोरी में प्रयुक्त उपकरण)
- 01 मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भूरा पुत्र श्रीपाल निवाली नांदादेव थाना जसपुरा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 124/26 धारा 305(घ)/317(2) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 430/26 धारा 305 बीएनएस थाना बिसंडा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 140/24 धारा 118(1)/351(3)/352 बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री आनन्द कुमार साहू थानाध्यक्ष चिल्ला
2. उ0नि0 श्री अनवर खांन
3. हे0का0 ध्यान सिंह
4. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह